प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 22.11.2025

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 11.11.2025 को थाना मोदीनगर पर वादी श्री दीपक कुमार द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर वादी के पिता श्री नैन सिंह व अन्य परिवारजनों के साथ घर में घुसकर मारपीट करना, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल सुसंगत धारा 191(2)/191(3)/115(2)/352/351(3)/333 बी.एन.एस. के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम की गठन किया गया। तत्पश्तात उपचार के दौरान दिनांक 20.11.2025 को वादी के पिता श्री नैन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण उपरोक्त अभियोग में धारा 105 बीएनएस की वृद्धि गयी।

दिनांक 21.11.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित 04 अभियुक्तों 1. बबलू पुत्र बसंता उम्र करीब 47 वर्ष 2. रिंकू पुत्र श्यामलाल उम्र करीब 29 वर्ष 3. अमित पुत्र दुलीचन्द उम्र करीब 29 वर्ष 4. विशाल पुत्र सतीश उम्र करीब 28 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम सीकरी खुर्द थाना मोदीनगर गाजियाबाद को थाना क्षेत्र मोदीनगर से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान अपने जुर्म का इकबाल करते हुये बताया कि कुछ दिन पहले हमारी वादी पक्ष से मारपीट हुयी थी जिसके दौरान हम लोगो ने आवेश में आकर वादी पक्ष के लोगों के साथ लाठी डंडे से मारपीट की थी जिसमें वादी के पिता गम्भीर रूप से घायल हो गये थे तथा उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.बबलू पुत्र बसंता निवासी ग्राम सीकरी खुर्द थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 47 वर्ष।
2.रिंकू पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम सीकरी खुर्द थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष।
3.अमित पुत्र दुलीचन्द निवासी ग्राम सीकरी खुर्द थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष।
4.विशाल पुत्र सतीश निवासी ग्राम सीकरी खुर्द थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

वांछित अभियुक्तगण का विवरण-

1.रोकी पुत्र श्यामलाल 2.अंकित पुत्र दुलीचंद 3.रवि पुत्र श्यामलाल

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

साइबर सेल थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 99,500/- रुपये की धनराशि आवेदिका को वापस करायी गई।

आज दिनांक 22.11.2025 को साइबर सेल थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदिका के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल धनराशि 99,500/- रूपये की राशि आवेदिका को वापस कराया गयी।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से आवेदिका के साथ 99,500/- रूपये की ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदिका के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 22.11.2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशि को बैंक से पत्राचार कर वापस कराया गया। आवेदिका द्वारा थाना ट्रोनिका सिटी पर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी साइबर सेल टीम।

थाना वेवसिटी पुलिस टीम द्वारा यातायात सड़क सुरक्षा जागरुकता माह के तहत जिज्ञासा पब्लिक स्कूल लालकुआं पर उपस्थित छात्र- छात्राओं को जागरुक किया गया।

सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति छात्रों में जागरूकता बढ़ाने हेतु आज दिनांक 22.11.2025 को थाना वेवसिटी क्षेत्रान्तर्गत जिज्ञासा पब्लिक स्कूल चौकी क्षेत्र लालकुआं में श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय गाजियाबाद के निर्देशन में सड़क सुरक्षा के प्रति यातायात जागरूकता अभियान के अन्तर्गत श्रीमती प्रियाश्री पाल, सहायक पुलिस आयुक्त वेवसिटी एवं थाना वेवसिटी पुलिस टीम द्वारा छात्रों को सड़क सुरक्षा संबंधी आवश्यक जानकारी प्रदान की गई, जिसमें हेलमेट एवं सीट बेल्ट का प्रयोग, निर्धारित गति सीमा का पालन, नशे में वाहन न चलाना तथा यातायात संकेतों का पालन करने पर विशेष बल दिया गया। उक्त कार्यक्रम में दौरान शैक्षणिक संस्थान के अध्यापकगण, छात्र-छात्राएं व अभिभावक गण द्वारा प्रतिभाग किया गया। तथा कार्यक्रम में निम्नलिखित संदेश दिए गये-

- दोपहिया वाहन चलाते समय **हेलमेट पहनना अनिवार्य** है।
- चारपहिया वाहन में **सीट बेल्ट लगाना जीवन रक्षक** है।
- यातायात संकेतों पालन करना है।
- **नशे में वाहन चलाना अपराध** है और दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण है।
- **मोबाइल फोन का प्रयोग वाहन चलाते समय वर्जित** है।
- पैदल यात्रियों और वरिष्ठ नागरिकों को सड़क पर प्राथमिकता देना हर चालक का कर्तव्य है।

युवा वर्ग में जागरूकता ही सुरक्षित भविष्य की नींव है। इस अभियान के माध्यम से छात्रों को न केवल नियमों की जानकारी दी गई, बल्कि उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित भी किया गया।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा रंगदारी मांगने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 21.11.2025 को वादिया द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि अरनव चौधरी पुत्र संदीप चौधरी निवासी म0न0 100 आरएम ब्लाक सैक्टर 2 राजेन्द्र नगर थाना शालीमार गार्डन द्वारा वादिया की भांजी को जान से मारने की धमकी देकर 01 जोडी सोने के झुमके, 01 डायमण्ड की रिंग (कुल कीमत ढेड़ लाख रू0) को ले लेना व बदनाम करने की धमकी देकर और पैसों की मांग करने के सम्बन्ध में थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा वादिया की प्राप्त तहरीर के आधार पर धारा 308(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटनाक्रम में आज दिनांक 22.11.2025 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर रंगदारी मांगने वाला 01 अभियुक्त अभियुक्त अरनव चौधरी पुत्र संदीप चौधरी निवासी फ्लैट नं0 100 द्वितीय आरएम ब्लाक सै 2 राजेन्द्र नगर थाना शालीमार गार्डन कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को प्रेम गली नियर डीएवी कट शालीमार गार्डन के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त अरनव चौधरी उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत अभियोग के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त अरनव चौधरी उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त अरनव चौधरी की वादिया की भांजी से इन्स्ट्राग्राम के माध्यम से बातचीत हुई एवं उससे दोस्ती हो गई, पैसो की आवश्यकता पड़ने पर अभियुक्त अरनव ने वादिया की भांजी को डरा धमकाकर व जान से मारने के भय में डालकर उससे उसके घर में रखे 01 जोडी सोने के झुमके व 01 डायमंड की रिंग ले ली। जिसे अभियुक्त ने राह चलते व्यक्ति को 35 हजार रूपये में बेच दिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अभियुक्त अरनव चौधरी पुत्र संदीप चौधरी निवासी फ्लैट नं0 100 द्वितीय आरएम ब्लाक सै 2 राजेन्द्र नगर थाना शालीमार गार्डन कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त अरनव चौधरी पुत्र संदीप चौधरी के विरूद्ध थाना शालीमार गार्डन पर रंगदारी मांगने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम ।